संख्याः 1137 /X-4-18/1(347)/2016

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

वन अनुभाग–03

देहरादूनः दिनांकः 14 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2020

विषयः **जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-890/FP/UK/ROAD/15752/2025, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या–1069 / एक्स–4–16 / 1(347) / 2018 दिनांक 05.12.2018 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय **जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** करने की **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी / कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत यथोचित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
9. मा0 उच्चतम् न्यायालय / भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

क्रमशः 2

14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे / नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों / वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
20. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Piilars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

संख्याः (1) / X-4-18/1(347)/2016 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्याल, 25 सुभाष रोड उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिं0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, चम्पावत।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।